

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 25)

[18 सितम्बर, 2013]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के बीच बंधुता बढ़ाने को एक लक्ष्य के रूप में उल्लिखित किया गया है;

और संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मूल अधिकारों में गरिमा के साथ रहने के अधिकार को भी विवक्षित किया गया है;

और संविधान के अनुच्छेद 46 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि राज्य, दुर्बल वर्गों की और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा;

अस्वच्छ शौचालयों के सतत बनने बने रहने और अत्यंत अन्यायी जाति-व्यवस्था से उद्भूत हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा देश के विभिन्न भागों में अभी भी जारी है और विद्यमान विधियां अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त साबित नहीं हुई हैं;

और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा सहन किए गए ऐतिहासिक अन्याय और तिरस्कार को रोकना तथा गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस प्रकार अधिसूचित तारीख, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, साठ दिन से पूर्व की नहीं होगी।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभिकरण” से, स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, ऐसा कोई अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा अपने ऊपर ले सके और इसके अंतर्गत ऐसा कोई ठेकेदार या फर्म या कंपनी है, जो भू-संपदा के विकास और अनुरक्षण कार्य में लगती है ;

(ख) “समुचित सरकार” से, छावनी बोर्डों, रेल भूमि और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया या सारभूत रूप से वित्तपोषित स्वशासी निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि और भवनों के संबंध में, केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) किसी नगरपालिका या पंचायत के संबंध में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” से उसका ज्येष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(घ) किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा “परिसंकटमय सफाई” से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्ववधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है ;

(ड) “अस्वच्छ शौचालय” से ऐसा कोई शौचालय अभिप्रेत है, जिसमें मल-मूत्र के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल-मूत्र की या तो उसी स्थान से या किसी ऐसी खुली नाली या गड्ढे में से जिसमें मल-मूत्र को निस्सारित या संप्रवाहित किया गया है, सफाई की जानी अपेक्षित होती है या अन्यथा उसको हाथ से उठाया जाना अपेक्षित होता है:

परंतु किसी रेल यात्री डिब्बे में जलीय फ्लश शौचालय को, जब उसकी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, सफाई की जाती है, अस्वच्छ शौचालय नहीं समझा जाएगा ;

(च) “स्थानीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, —

(1) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी कोई नगरपालिका या पंचायत, जो अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है ;

(ii) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 10 के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड ; और

(iii) कोई रेल प्राधिकारी ;

(छ) “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और “हाथ से मैला उठाने” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) “लगाया जाना या नियोजित किया जाना” से नियमित या संविदा आधार पर लगाया जाना या नियोजित किया जाना अभिप्रेत है;

(ख) ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, मल-मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति, ‘हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी’ नहीं समझा जाएगा ;

(ज) “राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग” से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) की धारा 3 के अधीन गठित किया गया और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्यांक 17015/18/2003- एस०सी०डी०-VI, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा बनाए रखा गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां “अधिमोगी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अधिभोग में तत्समय ऐसे परिसर हैं ;

(ट) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां “स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय ऐसे परिसरों का विधिक हक है ;

(ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) “रेल प्राधिकारी” से रेल भूमि का प्रशासन करने वाला ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ढ) “रेल भूमि” का वह अर्थ होगा, जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (32क) में है ;

(ण) “स्वच्छ शौचालय” से ऐसा शौचालय अभिप्रेत है, जो ‘अस्वच्छ शौचालय’ नहीं है ;

(त) “मलाशय” से सामान्यतया भूमि के नीचे अवस्थित ऐसा कोई जलरोधी निथार-टंकी या चेंबर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव मल-मूत्र डालने और रखने के लिए किया जाता है, जिससे उसका जीवाण्विक क्रियाकलापों से विघटन हो सके ;

(थ) “मलनाली” से अन्य अपशिष्ट पदार्थ और मलनाली के अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त मानव मल-मूत्र को निपटाने के लिए भूमिगत कोई नाली या पाइप अभिप्रेत है ;

(द) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, “राज्य सरकार” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ध) “सर्वेक्षण” से धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किया गया कोई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

(3) इस अधिनियम के अध्याय 4 से अध्याय 8 के अधीन किसी नगरपालिका के प्रति निर्देश के अंतर्गत, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेल भूमि की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, यथास्थिति, छावनी बोर्ड या रेल प्राधिकरण के प्रति निर्देश होगा ।

3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबंध, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46) या किसी अन्य विधि अथवा ऐसी किसी अन्य लिखत में, जो किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी है, किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

अध्याय 2

अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करना

4. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाना और स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना—(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यमान अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा ;

(ख) अधिभोगी को, खंड (क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या तो तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा ;

परंतु स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा ;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसे क्षेत्रों में, जहां अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का, जितने वह आवश्यक समझे, सन्निर्माण करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिकाएं, छावनी बोर्ड और रेल प्राधिकारी भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण करेंगे, जिससे उनकी अधिकारिता में खुले में मलत्याग की प्रथा को समाप्त किया जा सके ।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का सन्निर्माण कराएं और सभी समयों पर उनके स्वच्छ रखरखाव करने की भी व्यवस्था करें ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में “समुदाय” से रेल के यात्री, कर्मचारिवृन्द और अन्य प्राधिकृत उपयोक्ता अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 3

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिबंध

5. अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध—(1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46) में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्—

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेगा ; या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित, किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिभोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध में अनेक अधिभोगी हैं, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व,—

(क) परिसरों के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो; और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, सभी अधिभोगियों पर होगा :

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात् किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाए रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिमान्य आधार नहीं होगा।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह, ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़े जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वसूल करने का हकदार होगा।

6. संविदा, करार आदि का शून्य होना—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसकी रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हीं उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा।

7. मलनालियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा।

8. धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई, धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

9. धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई, धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

10. अभियोजन की परिसीमा—कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अभिकथित अपराध के कारित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसका परिवाद करने के सिवाय न करेगा।

अध्याय 4

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान और उनका पुनर्वासन

11. नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण—(1) यदि किसी नगरपालिका के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए एक सर्वेक्षण कराएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की अंतर्वस्तु और कार्यपद्धति ऐसी होगी, जो विहित की जाए और उसको नगर निगमों की दशा में उसके प्रारंभ से दो मास की अवधि के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में एक मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सर्वेक्षण का जिम्मा लिया गया है, ठीक और समय से सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, उसकी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए तथा ऐसी पात्रता शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए पाए गए व्यक्तियों की एक अंतिम सूची तैयार कराएगा, ऐसी अंतिम सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा और सर्वसाधारण से उस सूची के प्रति आक्षेप आमंत्रित करेगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अंतिम सूची में किसी नाम को या तो सम्मिलित किए जाने या उसको हटाए जाने के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह ऐसे प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जो नगरपालिका अधिसूचित करे, आक्षेप फाइल करेगा।

(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आक्षेपों की जांच की जाएगी और उसके पश्चात् नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों की एक अंतिम सूची उसके द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी।

(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति, धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करने की किसी बाध्यता से उन्मोचित हो जाएंगे।

12. पहचान के लिए किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा आवेदन—(1) किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, धारा 11 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 11 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप या जब ऐसे सर्वेक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

(3) यदि कोई आवेदन, उपधारा (1) के अधीन उस समय प्राप्त होता है जब धारा 11 के अधीन कोई सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है और उसका उपधारा (2) के अनुसार जांच के पश्चात् सही होना पाया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रकाशित अंतिम सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी और उपधारा (7) में वर्णित उसके परिणामों का अनुसरण किया जाएगा।

13. किसी नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास—(1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसको धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है निम्नलिखित रीति से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) उसको एक मास के भीतर,—

(i) एक फोटो पहचान पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस पर आश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, दिया जाएगा, और

(ii) ऐसी आरंभिक, एक बार, ऐसी नकद सहायता दी जाएगी, जो विहित की जाए;

(ख) उसके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भू-खंड आवंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आवंटित किया जाएगा ;

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मासिक वृत्तिका संदत्त की जाएगी ;

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी वहनीय आधार पर कोई अनुकल्पी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त, अधिसूचित करे ।

(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मियों के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा ।

14. पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण—यदि किसी पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसी पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मियों का सर्वेक्षण कराएगा ।

15. पहचान के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा आवेदन—(1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, या तो धारा 14 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो धारा 14 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप में या जब ऐसा सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मियों है ।

16. किसी पंचायत द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास—ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, धारा 13 में नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के संबंध में अधिकथित रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्वासित किया जाएगा ।

अध्याय 5

कार्यान्वयन प्राधिकरण

17. अस्वच्छ शौचालयों के हटाने को सुनिश्चित करने का स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते भी, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का, जागरुकता अभियान के माध्यम से या ऐसी रीति से यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्,—

(i) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग न किया जाए; और

(ii) खंड (i) के उल्लंघन की दशा में धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिभोगी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।

18. ऐसे प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाए—समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाए, स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो आवश्यक हों और स्थानीय प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा ।

19. जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य—धारा 18 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकारी या उस धारा के अधीन उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्,—

(क) उनकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में किसी व्यक्ति को, लगाया या नियोजित न किया जाए;

(ख) कोई भी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण, उपयोग न करे या उपयोग के लिए उपलब्ध न कराए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का, यथास्थिति, धारा 13 या धारा 16 के अनुसार पुनर्वास किया जाए;

(घ) धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण और अभियोजन किया जाए; और

(ङ) उसकी अधिकारिता के भीतर लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए।

20. निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ—(1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिभाषित कर सकेगी।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए, किसी परिसर या स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा,—

(क) किसी शौचालय, खुली नाली या गड्ढे की परीक्षा और जांच करना या ऐसे किसी परिसर या स्थान का निरीक्षण करना, जहां उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किसी व्यक्ति के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन को निवारित करना;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जांच करना, जिसको वह ऐसे परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह उसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजित है या अन्यथा वह इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में है;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको वह ऐसे परिसर में पाता है, ऐसे परिसरों पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजित व्यक्तियों और उनको नियोजित करने या कार्य पर लगाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण या ठेकेदार के नामों और पतों के संबंध में ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करना जिसका दिया जाना उसकी शक्ति में है;

(घ) ऐसे रजिस्ट्रों, मजदूरियों के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या उनके भागों का अभिग्रहण करना या उनकी प्रतियां लेना जिनको वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्रधान नियोजक या अभिकरण द्वारा किया गया है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा अपेक्षित किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी तलाशी या अभिग्रहण को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

अध्याय 6

विचारण संबंधी प्रक्रिया

21. अपराधों का विचारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी; और शक्तियों के इस प्रकार प्रदान किए जाने पर, ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षेपतः किया जा सकेगा।

22. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

23. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसी किसी उपेक्षा के कारण माना जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 7

सतर्कता समितियां

24. सतर्कता समितियां—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड के लिए एक सतर्कता समिति गठित करेगी।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) जिले से निर्वाचित अनुसूचित जातियों के राज्य विधान-मंडल के सभी सदस्य—सदस्य:

परंतु यदि किसी जिले में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य राज्य विधान-मंडल में नहीं है, तो राज्य सरकार, जिले से राज्य विधान-मंडल के दो से अनधिक उतने अन्य सदस्यों को, जितने वह समुचित समझे, नामनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक—सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित के मुख्य कार्यपालक अधिकारी,—

(i) जिला स्तर पर पंचायत—सदस्य, पदेन;

(ii) जिला मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन;

(iii) जिले में गठित कोई अन्य नगर निगम—सदस्य, पदेन;

(iv) जिले में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) जिले में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, जिले के निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(छ) जिले की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का जिला स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य-सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, विभागों और अभिकरणों के जिला स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको जिला मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) उपखंड के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां ग्राम स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो पंचायतों के अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(ग) पुलिस का उपखंड अधिकारी—सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—

(i) उपखंड मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन; और

(ii) उपखंड में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) उपखंड में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, उपखंड के निवासी, दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होगी;

(छ) उपखंड की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का उपखंड स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य-सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के या जिला मजिस्ट्रेट के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए विभाग और अभिकरणों के उपखंड स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको उपखंड मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है—सदस्य, पदेन ।

(4) जिला और उपखंड स्तर पर गठित प्रत्येक सतर्कता समिति की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी ।

(5) सतर्कता समितियों की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

25. सतर्कता समिति के कृत्य—सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सलाह देना;

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की निगरानी रखना;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रत्यय जुटाने की दृष्टि से सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और उनके अन्वेषण और अभियोजन को मानीटर करना ।

26. राज्य मानीटरी समिति—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राज्य मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य का मुख्यमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अनुसूचित जाति कल्याण और ऐसे अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, प्रभारी मंत्री;

(ग) राज्य सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति आयोगों का, यदि कोई हो, अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो से अन्यून सदस्य :

परन्तु यदि राज्य विधान-मंडल में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य नहीं है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(च) पुलिस महानिदेशक—सदस्य, पदेन;

(छ) राज्य सरकार के गृह, पंचायती राज विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और ऐसे अन्य विभागों के सचिव, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे;

(ज) जिला स्तर पर कम से कम ऐसे एक नगर निगम, पंचायत, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, राज्य में निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ञ) राज्य स्तरीय बैंककार समिति के संयोजक बैंक का राज्य स्तरीय प्रमुख—सदस्य, पदेन;

(ट) राज्य सरकार के अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित विभाग का सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ठ) राज्य सरकार के विभागों और ऐसे अन्य अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।

(2) राज्य मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जो विहित किए जाएं, अनुपालन करेगी।

27. राज्य मानीटरी समिति के कृत्य—राज्य मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

28. राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट भेजने का कर्तव्य—प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में ऐसी आवधिक रिपोर्टें भेजेंगे, जो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे।

29. केन्द्रीय मानीटरी समिति—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक केन्द्रीय मानीटरी समिति गठित करेगी।

(2) केन्द्रीय मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संघ का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—सदस्य, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य, पदेन;

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग—सदस्य, पदेन;

(ङ) योजना आयोग का अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध सदस्य—सदस्य, पदेन;

(च) अनुसूचित जातियों के तीन निर्वाचित संसद् सदस्य, दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;

(छ) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव:—

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग;

(ii) शहरी विकास;

(iii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;

(iv) पेय जल और स्वच्छता;

(v) पंचायती राज;

(vi) वित्त, वित्तीय सेवा विभाग; और

(vii) रक्षा,

—सदस्य, पदेन होंगे;

(ज) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—सदस्य, पदेन;

(झ) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य, पदेन;

(ञ) कम से कम ऐसे छह राज्य सरकारों और एक संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे;

(ट) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, देश के निवासी, छह से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ठ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध, संयुक्त सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ड) केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।

(3) केन्द्रीय मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

30. केन्द्रीय मानीटरी समिति के कृत्य—केन्द्रीय मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम और सुसंगत विधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

31. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कृत्य—(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को आगे कार्रवाई की अपेक्षा करने संबंधी सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष संप्रेषित करना; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;

(घ) इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले की स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय आयोग को, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में जानकारी मांगने की शक्ति होगी।

32. राज्य सरकार की इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को पदाभिहित करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राज्य अनुसूचित जाति आयोग को या ऐसे अन्य कानूनी या अन्य प्राधिकारी को, जो वह ठीक समझे, राज्य में धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित किसी पदाधिकारी को, राज्य में आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 31 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की शक्तियां होंगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

33. स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों का मलनालियों आदि को साफ करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कर्तव्य—(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि मल-मूत्र की सफाई करने की प्रक्रिया में उसको हाथ से उठाने की आवश्यकता को खत्म करने की दृष्टि से अपने नियंत्रण के अधीन मलनालियों, मलाशयों और अन्य स्थानों की सफाई के लिए समुचित प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग करे।

(2) यह समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि वह वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों के माध्यम से और अन्यथा, उपधारा (1) में यथावर्णित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे।

34. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी।

35. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना—किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसको इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है, अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

36. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, नियम बनाएगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी नियोजक की बाध्यता;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (छ) के अधीन मल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किया जाता है;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अस्वच्छ शौचालय के सर्वेक्षण और उसकी सूची के प्रकाशन की रीति ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने की सूचना देने और उस पर व्यय की वसूली की प्रक्रिया ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की अन्तर्वस्तु और पद्धति;

(च) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान के लिए पात्रता शर्तें और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन ;

(ज) नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (1) या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ख) के अधीन प्रारंभिक, एक बार, नकद सहायता का उपबंध ;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन निरीक्षकों की ऐसी अन्य शक्तियां; और

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

37. आदर्श नियम बनाए जाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) इस अधिनियम की धारा 36 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए आदर्श नियम प्रकाशित करेगी; और

(ख) यदि, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर आदर्श नियमों को अधिसूचित करने में असफल रहती है तो ऐसे राज्य में राज्य सरकार द्वारा अपने नियम अधिसूचित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आदर्श नियम यथा आवश्यक परिवर्तन सहित प्रभावी समझे जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस राज्य के संबंध में नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

39. छूट देने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी क्षेत्र, भवनों के प्रवर्ग या व्यक्तियों के वर्ग को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन होते हुए, जो अधिरोपित की जाएं, इस अधिनियम के उपबंधों से या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, आदेश, अधिसूचना, उपविधि या स्कीम में अंतर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या मामलों के किसी वर्ग या वर्गों में किसी ऐसी अपेक्षा के पालन से एक समय में छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए अभिमुक्त कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक साधारण या विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।